UPBP010022632026

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012)
जनपद न्यायालय बलरामपुर (उ०प्र०)।
(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०) आईoडी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं०-830/2026
अपराध संख्या-74/2026
धारा-351(3) बी०एन०एस० व धारा-3/5(3) उ०प्र० विधि विरूद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम
सी०एन०आर०नम्बर-UPBP010022632026
पुलिस थाना-पचपेड़वा, जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

रिजवान अहमद उर्फ मो० रिजवान खां आयु करीब 46 वर्ष पुत्र मो० इसराइल निवासी ग्राम गौरडीह पोस्ट बैरिहवा थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर वर्तमान पता फरेन्दी थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर (उ०प्र०)..आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..अभियोजन/विपक्षी

दिनांक-21.07.2026

आवेदक/अभियुक्त रिजवान अहमद उर्फ मो० रिजवान खां की ओर से द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र बल न देने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2026 को निरस्त किया जा चुका है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन पत्र के आमुख पृष्ठ पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि **"श्रीमानजी प्रार्थनापत्र पर बल नहीं दिया जा रहा है।",** अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र बल न देने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त रिजवान अहमद उर्फ मो० रिजवान खां की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत दिनांक 14.07.2026 वास्ते अपराध संख्या-74/2026 धारा-351(3) बी०एन०एस० व धारा-3/5(3) उ०प्र० विधि विरूद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस थाना-पचपेड़वा, जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०) बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक-21.07.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट,
बलरामपुर (उ०प्र०)
J.O.Code-UP1851

Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.07.21 16:03:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court